मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स लिमिटेड

बनाम

भारत संघ व अन्य

(2007 का सिविल अपील सं. 2088 आदि)

9 नवंबर, 2009

**[ तरूण चटर्जी और और. एम. लोढ़ा, न्यायमूर्तिगण]**

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-धारा 30(ई)-'साधारण मिट्टी'-क्या खनिज हैं- धारित कियाः धारा 3(ई) 'साधारण मिट्टी' एक खनिज है- इसलिए सरकारी अधिसूचना द्वारा इसे 'लघु खनिज' सही घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 1963- पहली अनुसूची-का संशोधन- साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी तय करना @रु 4/- प्रति घन मीटर-स्वामित्व के लिए चुनौती दी- धारित किया गयाः इसे चुनौती देने वाला पक्ष, नियमों के तहत प्रदान किए गए उपायों का सहारा लेने में विफल रहने के बाद, इसे बाद में चुनौती नहीं दे सकता है-इसलिए, रॉयल्टी के निर्धारण की वैधता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के

प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

शब्द और वाक्यांश-'खनिज'-का अर्थ, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के संदर्भ में

**इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या 'साधारण मिट्टी' जिसका उपयोग तटबंधों, सड़कों, रेलवे, भवनों के निर्माण को भरने या समतल करने के लिए किया जाता है, को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 (ई) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का; और उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 1963 की पहली अनुसूची में लाया गया संशोधन की साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी @रु 4 / - प्रति घन मीटर तय करना सही है। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया**

**1.1.'खनिज' शब्द एक सटीक वैज्ञानिक परिभाषा द्वारा सीमित नहीं है; यह एक निश्चित शब्द भी नहीं है। यह अवधारणा कि 'खनिजों' को हमेशा मिट्टी के नीचे रहना चाहिए और पृथ्वी की सतह पर कोई खनिज नहीं हो सकते, को भी न्यायपालिका में समर्थन नहीं मिला। 'खनिज' शब्द का न्यायिक रूप से कई बार व्यापक रूप से अर्थ लगाया गया है और कभी-कभी एक संकीर्ण अर्थ दिया जाता है। इसका किसी दिए गए मामले में सटीक अर्थ विशेष संदर्भ के साथ तय किया जाना चाहिए। 'खनिज' शब्द है**

**कला का एक शब्द नहीं है और संदर्भ के आधार पर यह कई गुना करने में सक्षम है और इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। संदर्भ और प्रसंग के आधार पर अर्थ किया जाना चाहिए। को भी प्राकृतिक पदार्थ जिसे अधिनियम या न्यायिक निर्णय द्वारा 'खनिज' के रूप में परिभाषित किया गया है उसे भी 'खनिज' की व्याख्या में शामिल होना चाहिए। [पैरा 20] [785-ई-जी; 786-ए]**

**1.2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के संदर्भ में, 'साधारण मिट्टी' 'किसी अन्य खनिज' शब्द के अर्थ के भीतर समझा जाता है। यदि अधिनियम की धारा 3 (ई) में परिभाषित 'लघु खनिज' अभिव्यक्ति में 'साधारण मिट्टी' और 'साधारण रेत' शामिल हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि 'साधारण मिट्टी' को 'किसी अन्य खनिज' शब्द के अर्थ के भीतर नहीं समझा जाना चाहिए। [ पैरा 22] [786-बी-डी]**

मैसर्स बनारसी दास चड्ढा एवं ब्रदर्स बनाम लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर दिल्ली प्रशासन व अन्य **(1978) 4 एससीसी 11** पर भरोसा किया गया।

वी. पी. पिथुपिचाई और अन्य बनाम सरकार के विशेष सचिव टी. एन. **(2003) 9 एस. सी. सी. 534, भेद किया गया**।

भगवान दास बनाम यू. पी. और अन्य राज्य। **(1976) 3 एससीसी**

**784**; एम. पी. बनाम राज्य महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 642; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम जगदम्बा प्रसाद सिंह और अन्य। **ए. आई. और. 1969 कैल 281, संदर्भित।**

लॉर्ड प्रोवोस्ट और ग्लासगो के मजिस्ट्रेट बनाम फैरी **(1888) एल. और. 13 अपील मामले 657**; नॉर्थ ब्रिटिश रेलवे कंपनी बनाम बुधिल कोल एंड सैंडस्टोन कंपनी और अन्य **( 1910 ) एसी 116** ; स्कॉट बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी **(1901) 1 क्यू. बी. 317;**

ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी बनाम कार्पाला यूनाइटेड चाइना क्ले कंपनी लिमिटेड और ए. एन. और. **( 1910 ) ए. सी. 83;** उत्तरी प्रशांत रेलवे कंपनी बनाम जॉन ए. सोडरबर्ग **147 एल एड 575, संदर्भित।**

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवां संस्करण), संदर्भित।

**1.3 . एक बार 'साधारण मिट्टी' को खनिज 'अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के प्रयोजनों के लिए अन्य खनिज शब्द के अर्थ के भीतर समझा गया तो केंद्र सरकार के लिए कोई बाधा नहीं है किसी विशेष उपयोग या उद्देश्य के आधार पर इसे शामिल या बहिष्कृत करें। उपयोगिता भी केंद्र सरकार को अधिनियम की धारा 3 (ई) के अंतर्गत उपयोग या उद्देश्य के आधार पर बाहर रखने या अंदर रखने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज को 'लघु खनिज' में घोषित करने में एक वैध कारण हो**

सकता है। ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।'साधारण मिट्टी' की उपयोगों और उद्देश्यों के लिए अधिसूचना की घोषणा दिनांकित 3 फरवरी, 2000 केंद्र सरकार की शक्ति से परे नहीं है। [ पैरा 23] [786-ई-एच; 787-ए]

2. उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियम, 1963 रॉयल्टी के मूल्यांकन और वसूली और रॉयल्टी का भुगतान न करने के परिणामों के लिए पूर्ण तंत्र प्रदान करता है। ये नियम एक पीड़ित व्यक्ति को जिला अधिकारी द्वारा नियमों के तहत पारित आदेश के खिलाफ उपचार भी प्रदान करते हैं। अपीलार्थी 1963 के नियमों द्वारा प्रदत्त उपचारों, जो उनसे रॉयल्टी की वसूली के संबंध में हैं, का अवलोकन करने में असफल रहा और उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया कि राज्य द्वारा रॉयल्टी का निर्धारण करना व्यापार और वाणिज्य चलाने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाता है या वह बिना अधिकार के है, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है। [ पैरा 28] [788-डी-एफ]

संदर्भित न्यायिक निर्णयः

| | | |
|---|---|---|
| (1888) एलआर 13 | संदर्भित किया गया | पैरा 9 |

**(1910)ए.सी.116 संदर्भित किया गया। पैरा11**

**(1901)1 क्यू.बी.317 संदर्भितकिया गया। पैरा 11**

**(1910) ए.सी. 83 संदर्भित किया गया। पैरा 12**

**(1976)3 एस.सी.सी.784 संदर्भित किया गया। पैरा 13**

**(1978) 4 एससीसी 11 पर भरोसा किया। पैरा 14**

**47 एल।एड 575 संदर्भित किया गया। पैरा 14**

**(2003)9 एस.सी.सी.534 प्रतिष्ठित। पैरा 15**

**1995 (1) एस.सी.सी.642 का उल्लेख किया गया है। पैरा 15**

**ए.आई.आर.1969 कैल. 281 संदर्भित किया गया। पैरा 18**

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील सं 2088/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर 8760/2003 मे पारित निर्णय और आदेश में दिनांकित 28.02.2006 से

के साथ

सी.ए. संख्या. 7475-7476, 7477, 7478/2009, 4314/2008 और 2087/2007

उपस्थित पक्षकारों की और से सुनील गुप्ता, एसपी सिंह, के. राधाकृष्णन, शोभा दीक्षित, एस.और. सिंह, शैल कृष्ण द्विवेदी, एएजी, राजीव के. गर्ग, आशीष गर्ग, ए.डी.एन. राव, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, सी.डी. सिंह, सनी चौधरी, लक्ष्मी रमन सिंह, विवेक सिंह, उदिता सिंह, रॉन बास्टियन, चंद्र प्रकाश, राजेश श्रीवास्तव, रेखा पांडे और साधना संधू, रश्मि मल्होत्रा, वसीम कादरी, ए.के. शर्मा, डी.एस. महारा, प्रदीप मिश्रा, सूरज सिंह, मनोज के. शर्मा, वी. के. वर्मा, एस. ए. अब्दी, अनुव्रत शर्मा, वंदना मिश्रा और अलका सिन्हा, प्रवीण जैन और मुकेश कुमार (एम. वी. किनी एवं एसोसिएट्स के लिए)।

**न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा,** के द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

1. 2006 के एसएलपी (सिविल) संख्या 12127, 2006 के 12722 और 2008 के 6808-6809 में अनुमति दी गई।

2. सात अपीलों का यह समूह 28 फरवरी, 2006 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुआ है और इसलिए, इन सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई और इस निर्णय द्वारा उनका निपटान किया जा रहा है।

3. इन अपीलों में निर्धारण करने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या तटबंधों, सड़कों, रेलवे, भवनों के निर्माण में भरने या समतल करने के लिए

उपयोग की जाने वाली 'साधारण मिट्टी को केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) 1957 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 1957') की 3 (ई) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी, 2000 द्वारा, वैध रूप में 'लघु खनिज घोषित किया गया है।

4. इनमें से प्रत्येक अपील के तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। 2007 की सिविल अपील संख्या 2088 में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण पर्याप्त होगा। अपीलकर्ता कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निगमित कंपनी है। यह व्यावसायिक टावरों, होटलों और विभिन्न अन्य ढांचागत विकास परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है। उनके मुताबिक, कानपुर के सिकंदरा में ग्रैंड ट्रंक रोड को 393 किलोमीटर स्टोन से 470 किलोमीटर स्टोन तक चौड़ा करने के लिए कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ था। सड़क को भरने और समतल करने के उद्देश्य से कंपनी ने स्थानीय भूमि धारकों/कृषकों के साथ 'साधारण मिट्टी की खरीद के लिए समझौता किया और उन्हें तद्नुसार भुगतान किया। कहा जाता है कि अपीलकर्ता को 'साधारण मिट्टी उठाने के लिए रॉयल्टी के लिए विभिन्न मांग नोटिस जारी किए गए थे, जिससे उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 फरवरी, 2000 की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश गौण खनिज

(रियायत) नियम, 1963 (संक्षेप में, 'नियम, 1963') की पहली अनुसूची में लाए गए संशोधन को भी चुनौती दी, जिसमें 'साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रू 4/- प्रति घन मीटर रॉयल्टी तय की गई थी।

5.1957 के अधिनियम की धारा 3 में खनिज व गौण खनिज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए) ''खनिज'' में खनिज तेल को छोडकर सभी खनिज शामिल हैं;

(बी)

(सी)

(डी)

(ई) ''गौण'' खनिज का अर्थ है भवन निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा साधारण रेत, और कोई अन्य खनिज जिसमें केंद्र सरकार, घोषित कर सकती है;

6. धारा 3 (ई) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 3 फरवरी, 2000 को निम्नलिखित अधिसूचना जारी की;

''जीएसऔर 95(ई).-- खान और खनिज (विकास और

विनियमन), 1957 की धारा 3 के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा तटबंधों, सड़कों, रेलवे, इमारतों के निर्माण में भरने या समतल करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली साधारण मिट्टी को उक्त खण्ड के तहत पहले से ही गौण खनिज के रूप में घोषित खनिजों के अतिरिक्त एक गौण खनिज घोषित करती है।

7. अधिनियम 1957 की धारा 3 (ई) के तहत शक्ति के अनुसार किसी पदार्थ को ''लघु खनिज'' के रूप में अधिसूचित करने से पहले उसका खनिज होना आवश्यक है। यह विवाद में नहीं है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या 'साधारण मिट्टी खनिज है? प्रश्न थोडा जटिल है क्योंकि अधिनियम, 1957 में 'खनिज' की परिभाषा प्रश्न का उत्तर खोजने में बहुत मदद नहीं करती है

8.'खनिज' शब्द समय-समय पर न्यायिक व्याख्या के लिए सामने आया है।

9. लॉर्ड प्रोवोस्ट और ग्लासगो के मजिस्ट्रेट बनाम फैरी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मिट्टी को वाटरवर्क्स क्लॉज अधिनियम, 1847 के तहत 'अन्य खनिजों में शामिल किया गया है। लॉर्ड हैल्सबरी, एलसी ने कहाः

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी के पदार्थों की अधिक सटीक वैज्ञानिक जांच और उन्हें निकालने के विभिन्न तरीकों ने "खनिज" शब्द के अर्थ को उस समय की तुलना में कम निश्चित करने में योगदान दिया है जब इसका मूल रूप से खनन कार्यों के संबंध में उपयोग किया गया था। मुझे सोचना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पुराने समय में "खनिज" शब्द का अर्थ खनन से प्राप्त पदार्थ था, और मुझे लगता है कि पुराने समय में खनन का मतलब भूमिगत उत्खनन था। मुझे संदेह है कि वर्तमान स्थिति में क्या अधिकारियों का यह कहना सही है कि प्रत्येक कार्य में या प्रत्येक कानून में "खनिज" शब्द ने किसी भी प्रश्न"

1. (1888) एल और 13 अपील मामले 657 से स्वतंत्र होकर अपना एक अर्थ प्राप्त कर लिया है कि खनिज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं।"

लॉर्ड वॉटसन ने अपनी राय में कहा कि "खान" और "खनिज" निश्चित शब्द नहीं हैं; जिस आशय से उनका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार वे सीमा या विस्तार के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

10. नॉर्थ ब्रिटिश रेलवे कंपनी बनाम बुधिल कोल एंड सैंडस्टोन कंपनी और अन्य मामलें में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस सवाल से संबंधित था कि क्या

बलुआ पत्थर या फ्रीस्टोन के रेलवे क्लॉज कंसोलिडेशन (स्कॉटलैंड) अधिनियम, 1845 की धारा 70 को छोडकर खनिजों में शामिल है। लॉर्ड लोरबर्न एलसी ने उपरोक्त निर्णय सहित कई निर्णयों पर विचार किया और निम्नलिखित शब्दों में विभिन्न मामलों में लागू परीक्षणों का सारांश दियाः

> "किसी एक समान मानक को निकालना संभव नहीं है। विभिन्न विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त की गई राय के बारे में भी यही सच है। विभिन्न प्रकार के परीक्षण प्रतिपादित किए गए हैं, जिनकी चर्चा लॉर्ड गोरेल ने की है। मैं उनकी गणना और आलोचना दोनों में उनसे सहमत हूं। क्या आम बोलचाल में पदार्थ एक खनिज है? क्या भूवैज्ञानिक इसे ऐसा मानते हैं? क्या यह किसी विशेष मूल्य का पदार्थ है? किसी एक सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है, और हर सिद्धांत ऐसा प्रतीत होता है इसके दोस्त हैं।"

11. स्कॉट बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी में, न्यायमूर्ति डार्लिंग ने देखा कि "खनिज" शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अलग-अलग समय पर बहुत अलग अर्थों के साथ किया गया है। कुछ कानूनों में इसका बहुत सीमित अर्थ है, दूसरों में बहुत व्यापक। प्रत्येक मामलें में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शब्द का उपयोग व्यापक या संकीर्ण अर्थ में किया गया है,

हमें, जैसा कि लॉर्ड हर्शेल ने ग्लासगो बनाम फैरी में कहा था, उस उद्देश्य को देखना चाहिए जो विधानमंडल के विचार में था

12. ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी बनाम कारपल्ला यूनाइटेड चाइना क्ले कंपनी, लिमिटेड और अन्य में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष एक मुद्दा था कि क्या चाइना क्ले रेलवे क्लॉज कंसोलिडेशन एक्ट, 1845 के प्रावधानों के तहत एक खनिज था। लॉर्ड मैकनागटेन ने कहाः

2. (1910) एसी 116

3. (1901) 1 क्यूबी 317

4. (1910) एसी 83''..... निःसंदेह 'खनिज' शब्द का अर्थ खान शब्द से अधिक व्यापक हो सकता है। अपने व्यापक अर्थ में इसका अर्थ संभवतः मिट्टी की परत के अलावा पृथ्वी की परत का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक अकार्बनिक पदार्थ से है जो वनस्पति जीवन को कायम रखता है।''

13. भगवानदास बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में, इस अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि रेत और बजरी भूमि की सतह पर जमा होती है, न कि मिट्टी की सतह के नीचे और इसलिए, उन्हें खनिज नहीं कहा जा सकता है। वाईवी चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति (जैसा कि वह तब थे) ने उक्त विवाद को नकारते हुए कहाः

''यह मानना सबसे पहले गलत है कि खदानें और खनिज हमेशा

उपमृदा में होने चाहिए और पृथ्वी की सतह पर कोई खनिज नहीं हो सकता है। ऐसी धारणा सूचित अनुभव के विपरीत है। किसी भी स्थिति में, 3 (डी) और में खनन कार्यों और लघु खनिजों की परिभाषा 1957 के अधिनियम के (ई) और 1963 के नियमों के नियम 2 (5) और (7) से प्रकट होता है कि खनिजों को भूमिगत होने की आवश्यकता नहीं है और खनन कार्य किसी भी छोटे खनिज को ''जीतने'' के उद्देश्य से किए गए हर ऑपरेशन को कवर करते हैं। ''जीतना'' का मतलब खतरनाक या संकटपूर्ण गतिविधि नहीं है। इस शब्द का सीधा सा अर्थ है ''खनिज निकालना'' और इसका उपयोग आम तौर पर किसी भी गतिविधि को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा खनिज सुरक्षित किया जाता है। बदलें में, ''निकालना'' का अर्थ है, निकालना या प्राप्त करना। एक दांत उतना ही निकाला जाता है जितना फलों का रस और उतना ही खनिज। केवल यह कि प्रयास हर दांत से दांत, फल से फल और खनिज से खनिज तक अलग-अलग होता है।''

14. मैसर्स के मामले में बनारसी दास चड्ढा और ब्रदर्स बनाम उपराज्यपाल, दिल्ली प्रशासन और अन्य के मामलें में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस सवाल से उलझ गई

थी कि क्या अर्थ में 'ईंट मिट्टी एक मामूली खनिज है। यह अभिव्यक्ति जैसा की अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई):

''धारा 3 (ई) में परिभाषित अभिव्यक्ति ''गौण खनिज'' में 'साधारण मिट्टी और 'साधारण रेत' शामिल है।

5. (1976) 3 एससीसी 784

6. (1978) 4 एससीसी 11 यदि धारा 3 (ई) में परिभाषित अभिव्यक्ति ''गौण खनिज'' अधिनियम में 'साधारण मिट्टी और 'साधारण रेत' शामिल है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि ईंट बनाने के प्रयोजन कें लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को ''किसी अन्य खनिज'' शब्द के अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा ''गौण खनिज'' घोषित किया जा सकता है।'' ''

का शब्द है, जो संदर्भ के आधार पर कई अर्थों में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, इस शब्द का प्रयोग कभी-कभी बहुत व्यापक अर्थ में यह सूचित करने के लिए कि प्रयोग किया जाता है कि कोई पदार्थ जो न तो पशु है और न ही वनस्पति। कभी-कभी इसे एक संकीर्ण अर्थ में उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं से अधिक नहीं होता है। फिर'' ''

खुदाई या उत्खनन द्वारा प्राप्त पदार्थों को इंगित करने के लिए किया जाता है लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा कि चंद्रचूड न्यायमूर्ति (जैसा

कि वह तब थे) ने भगवानदास बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में बताया था।''

इस अदालत ने उत्तरी प्रशांत रेलवे कंपनी बनाम जॉन ए सोडरबर्ग[7] में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और उसमें की गई टिप्पणियों को इस प्रकार उद्धृत कियाः

''खनिज'' शब्द का प्रयोग संदर्भ पर निर्भर करते हुए इतने सारे अर्थों में किया जाता है कि शब्दकोश की सामान्य परिभाषाएं किसी दिए गए मामलें में इसके अर्थ पर बहुत कम प्रकाश डालती हैं। इस प्रकार, सभी पदार्थों का पशु, वनस्पति में वैज्ञानिक विभाजन होता है या खनिज साम्राज्य को भूमि के अनुदान पर लागू करना बेतुका होगा, क्योंकि सभी भूमि खनिज साम्राज्य की हैं, और इसलिए इसे नष्ट किए बिना अनुदान से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, एक परिभाषा जो इसे कीमती धातुएं-सोना और चांदी - इसकी प्रयोज्यता को इतना सीमित कर देगी कि अपवाद का आधा मूल्य एक ही बार में नष्ट हो जायेगा। सेंचुरी डिक्शनरी में पाए जाने वाले खनिजों की परिभाषा भी अनुदान के लिए समान रूप से विध्वंसक होगी; जैसे ''पृथ्वी की पपडी का कोई घटक,'' और बैनब्रिज ऑन माइंस काः'' , या जो एक बार बन गए थे, पृथ्वी के ठोस शरीर का हिस्सा हैं।'' न ही हम खनिजों को ''खनन'' किए गए पदार्थ के रूप में मानकर इस शब्द के अर्थ के अधिक करीब से अनुमान लगाते हैं,

7. 47 एस ईडी 575 जो कि ''उत्खनन'' वाले पदार्थों से अलग हैं, क्योंकि सोना, तांबा, लोहा और कोयले के कई मूल्यवान भंडार पृथ्वी की सतह के पास मौजूद है और कुछ सबसे मूल्यवान भवन पत्थर, जैसे, उदाहरण के लिए, फ्रांस में केन पत्थर, सतह के बहुत नीचे चल रही खदानों से खोदे गए हैं। भूमिगत खदानों और खुले कामकाज के बीच इस अंतर को मिडलैंड और. कंपनी बनाम हंचवुड ब्रिक एंड टाइल कंपनी एलऔर 20 सीएच में स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। प्रभाग 552, और हेक्स्ट बनाम गिल में, एलऔर 7 अध्याय। 699।''

इस अदालत ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 6 में आगे कहाः

''संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कई अंग्रेजी मामलों का भी उल्लेख किया जहां सड़क बनाने या पक्का करने के लिए पत्थर को 'खनिज' माना गया था, साथ ही ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चकमक पत्थर, बजरी भी, संगमरमर, अग्नि मिट्टी, ईंट मिट्टी, और इसी तरह के यह स्पष्ट है कि 'खनिज' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन इसके उपयोग के संदर्भ के आधार पर इसके कई अर्थ हैं।

तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि खनिज शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन इसके उपयोग के संदर्भ के आधार पर विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं। इस न्यायालय ने यह कहाः

‘‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के संदर्भ में, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ‘खनिज’ शब्द ‘ईंट-मिट्टी को शामिल करने के लिए पर्याप्त आयाम वाला है। जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही देखा जा चुका है,यदि अधिनियम में परिभाषित अभिव्यक्ति ‘लघु खनिज’ में ‘साधारण मिट्टी और ‘साधारण रेत’ शामिल है, तो ऐसा कोई धरातलीय  कारण नहीं है कि ‘ईंट-मिट्टी को कोई अन्य खनिज नहीं माना जाना चाहिए जो कि एक ‘लघु खनिज’ के रूप में घोषित किया गया हो सकता है, हम यह कहने के अलावा मामले को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझते कि ‘लड्डूमल बनाम बिहार राज्य, अमरसिंह मोदीलाल बनाम हरियाणा राज्य और शर्मा एण्ड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यहीं दृष्टिकोण अपनाया गया था। हम पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जगदम्बा प्रसाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कोई भी खनिज के रूप में ‘साधारण मिट्टी की बात नहीं करता है, यह एक गौण खनिज नहीं है। जैसा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

15. बनारसी दास चड्ढा में इस न्यायालय का निर्णय हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देता है। यहां तक कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी के ने इस अदालत के बाद के फैसले वीपी पिथुपिचई व अन्य बनाम विशेष सचिव, तमिलनाडू सरकार पर बहुत अधिक भरोसा किया। तर्क प्रस्तुत किया कि 'साधारण मिट्टी को 'खनिज' अभिव्यक्ति से नहीं समझा जाता है। यह एक ऐसा मामला था जहां सवाल था कि क्या अधिनियम, 1957 के अर्थ के तहत समुद्री सीपियों को 'खनिज' कहा जा सकता है। इस अदालत ने पहले के फैसलों का हवाला दिया; जैसे मध्यप्रदेश राज्य बनाम महालक्ष्मी फेब्रिक मिल्स लिमिटेड, भगवान दास और बनारसी दास चड्ढ़ा और (अ) वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, 1968; (ब) फंक एंड वैगनॉल्स स्टैंडर्ड डिक्शनरी, इंटरनेशनल संस्करण, वॉल्यूम। द्वितीय; (स) ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी और (द) ग्रोलियर इंटरनेशनल डिक्शनरी, खंड-2 में उल्लेखित 'मिनरल' शब्द के अर्थ पर भी ध्यान दिया। हम अनुच्छेद 13 को पुनः प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त मानते हैं जिसमें उपरोक्त शब्दकोशों में उल्लिखित शब्द 'खनिज' का अर्थ देखा गया थाः

"13. यह "खनिज" शब्द का अर्थ निर्धारित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित कई शब्दकोशों में दिए गए अर्थ को ध्यान में रखते हुए है, जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया हैः (i) वेबस्टर्स थर्ड न्यू

इंटरनेशनल डिक्शनरी, 1968 'खनिज' को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

''एक ठोस सजातीय क्रिस्टलीय रासायनिक तत्व या यौगिक (हीरे या क्वाट्र्ज के रूप में) जो प्रकृति की अकार्बनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और जिसमें एक विशिष्ट क्रिस्टल संरचना और रासायनिक संरचना या रचनाओं की श्रृंखला होती है,कुछ ऐसा जो न तो जानवर है और न ही वनस्पति (जैसा कि) चीज़ों का पुराना सामान्य वर्गीकरण तीन जगतों में होता हैः पशु, वनस्पति और खनिज)''।

(2) फंक एंड वैगनॉल्स स्टैंडर्ड डिक्शनरी, इंटरनेशनल संस्करण, वॉल्यूम। द्वितीयः ''एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, सजातीय पदार्थ या सामग्री जो अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई जाती है और जिसमें भौतिक गुणों का एक विशिष्ट सेट,रासायनिक संरचना की एक निश्चित सीमा और एक आणविक संरचना होती है जो आमतौर पर क्रिस्टलीय रूपों में व्यक्त होती है.।अयस्क के रूप में कोई भी अकार्बनिक पदार्थ, एक चट्टान, या जीवाश्म ।

8. (2003) 9 SCC 534

9. 1995 Supp (1) SCC 642

(3) ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड डिक्शनरीः ''पदार्थ (जैसे धातु, कोयला,

नमक) खनन से प्राप्त होते हैं..... (रसायन) तत्व या यौगिक जो प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक प्रक्रियाओं के उत्पाद के रूप में पाए जाते हैं..... वह पदार्थ जो न तो पशु है और न ही वनस्पति।''

(4) ग्रोलियर इंटरनेशनल डिक्शनरी, वॉल्यूम। द्वितीयः

''कोई भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, सजातीय अकार्बनिक पदार्थ जिसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना और विशिष्ट क्रिस्टलीय संरचना, रंग और कठोरता होती है

विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों में से कोई भी।

(ए) एक तत्व, जैसे सोना या चांदी।

(बी) अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण, जैसे हॉर्नब्लेंड या ग्रेनाइट।

(सी) एक कार्बनिक व्युत्पन्न, जैसे कोयला या पेट्रोलियम कोई भी पदार्थ जो न तो पशु है और न ही वनस्पति; अकार्बनिक पदार्थ

16. वीपी पिथुपिचाई में, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या सीपियाँ दूसरी अनुसूची में अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार किया कि क्या सीपियाँ दूसरी अनुसूची के आइटम 28 के अर्थ के भीतर लाइमशेल हैं। रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 में, निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं.

"15. (1) खनिज के रूप में पहचाने जाने वाले पदार्थ, (2) खनिज युक्त पदार्थ (उदाहरण के लिए हड्डियां जिनमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट और कुछ हद तक कार्बोनेट होता है) के बीच अंतर किया जाना चाहिए, और (3) एक पदार्थ जो किसी खनिज का मूल स्रोत हो सकता है (उदाहरण के लिए पौधे जो लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अधीन होने के बाद अंततः कोयला बन जाते हैं)। पहले मामले में, किसी पदार्थ का खनिज के रूप में वर्गीकरण सरल है। लेकिन दूसरे वर्ग की हड्डियों और तीसरे वर्ग के पेड़ों को शायद ही खनिज कहा जा सकता है, हालांकि उनमें खनिज हो सकता है या अंततः उनका परिणाम हो सकता है। हड्डियों की तरह सीपियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, और पेड़ों की तरह, भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चूना पत्थर जैसे खनिज भी हो सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि समुद्री सीप अपने मूल रूप में एक खनिज है।"

17. हमारे विचार में, वीपी पिथुपिचाई मामले में इस अदालत का निर्णय एक सार-विशिष्ट है और एक से अधिक कारणों से मामले को तय करने में ज्यादा मदद नहीं करता है। सबसे पहले, उस मामले में न्यायालय को अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी पदार्थ को 'लघु खनिज' घोषित करने की केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति से कोई सरोकार नहीं था। दूसरे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है

कि उस मामले में अदालत को उच्च न्यायालय की राय की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए कहा गया था कि क्या सीप अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के आइटम 28 के अर्थ के भीतर चूना सीप है। यह सच है कि पैराग्राफ में रिपोर्ट के 15 में, इस अदालत ने (ई) खनिज के रूप में पहचाने जाने वाले पदार्थ, (ई) खनिज युक्त पदार्थ और (ई) ऐसे पदार्थ खनिज का मूल स्रोत हो सकते है के बीच अंतर किया और फिर यह माना गया कि इसके अंदर समुद्री सीप इसके मूल रूप में कोई खनिज नहीं है, लेकिन हमें डर है कि वीपी पिथुपिचाई में इस अदालत द्वारा लागू परीक्षण सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है।

18. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अधिनियम, 1957 या नियम 1963 में 'खनिज' की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए 'खनिज' शब्द का शब्दकोश अर्थ संदर्भ के लिए सबसे प्रासंगिक और उपयुक्त है। इस संबंध में, उन्होंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी (छठे संस्करण) का उल्लेख किया जिसमें 'खनिज' का अर्थ एक अकार्बनिक पदार्थ बताया गया है जो संरचना में सजातीय है और मिट्टी की परत पर या उसके नीचे पाए जाने पर संरचना में समान है। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि 'साधारण मिट्टी (साधारण मिट्टी) 'खनिज' की परिभाषा में शामिल नहीं है जैसा कि ऊपर बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी 'साधारण मिट्टी की तुलना 'साधारण मिट्टी (क्ले) से नहीं कर सकता और 'साधारण

मिट्टी (क्ले) 'साधारण मिट्टी के समान नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि बनारसी दास चड्ढा 'ईंट मिट्टी से संबंधित मामला था और इसमें कार्रवाई का कोई कारण नहीं था, कोई दलील नहीं थी और 'साधारण पृथ्वी के संबंध में कोई तर्क नहीं उठाया गया था और 'साधारण पृथ्वी या 'साधारण पृथ्वी के बारे में टिप्पणी की गई थी। पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य बनाम जगदम्बा प्रसाद सिंह व अन्य हैं और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त नहीं है।

10. एआईऔर 1969 कैल 281 -

उनके अनुसार, बनारसी दास चड्ढा वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए एक प्राधिकारी या पूर्वनिर्णय नहीं है और यह वीपी पिथुपिचाई में निर्णयसार है जो मामले को नियंत्रित और बांधता है।

19. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवें संस्करण) में उल्लिखित शब्द 'मिनरल' के अर्थ को पुनः प्रस्तुत करना उचित है क्योंकि यह एक बाद का संस्करण है। यह इस प्रकार है।

> ''खनिज, एन. 1. कोई भी प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ जिसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना और विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं जो इसे मूल्य देते हैं 'अधिकांश खनिज क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। [मामलेः खान और खनिज 48 सीजेएस खान और खनिज'' 4,

140 -142.,] 2. एक उपसतह सामग्री जिसका उसके उपयोगी गुणों और वाणिज्यिक मूल्य के लिए पता लगाया जाता है, खनन किया जाता है और उसका दोहन किया जाता है।3.कोई भी प्राकृतिक सामग्री जिसे क़ानून या न्यायिक निर्णय विधि द्वारा खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है।''

20. यहां ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों के सर्वेक्षण से पता चलेगा कि 'खनिज' शब्द के अर्थों में व्यापक अंतर है और 'खनिज' शब्द की न्यायिक व्याख्या में विभिन्न प्रकार के परीक्षण और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं; हालाँकि, उनकी प्रयोज्यता एक समान नहीं है। जहां तक' ' , इसे कभी भी निर्धारक और निर्णायक नहीं माना गया है। 'खनिज' शब्द को किसी सटीक वैज्ञानिक परिभाषा में सीमित नहीं किया गया है; यह कोई निश्चित शब्द नहीं है. यह प्रस्ताव कि खनिजों को हमेशा भूमिगत होना चाहिए और पृथ्वी की सतह पर कोई खनिज नहीं हो सकता है, को भी 'खनिज' शब्द की न्यायिक व्याख्या में समर्थन नहीं मिला है। 'खनिज' शब्द को न्यायिक रूप से कई बार व्यापक संभव आयाम में समझा गया है और कभी-कभी इसे एक संकीर्ण अर्थ दिया गया है। पिथिली ने कहा, किसी दिए गए मामले में इसका सटीक अर्थ विशेष संदर्भ के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए। हम खुद को बनारसी दास

चड्ढा में व्यक्त विचार से सहमत पाते हैं कि 'मिनरल' शब्द कला का शब्द नहीं है और यह संदर्भ के आधार पर अर्थों की बहुलता में सक्षम है और 'मिनरल' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक प्रासंगिक है। सीप को खनिज नहीं मानने के मामले में इस न्यायालय द्वारा वीपी पिथुपिचाई में किये परीक्षण को लागू किया गया क्योंकि अपने मूल रूप में यह खनिज नहीं है, हमारे विचार में, सभी स्थितियों में निर्धारक और निर्णायक नहीं है जब यह सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष पदार्थ खनिज है या नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी प्राकृतिक सामग्री जिसे क़ानून या केस कानून द्वारा 'खनिज' के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे 'खनिज' अभिव्यक्ति द्वारा भी कवर किया जा सकता है जैसा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवें संस्करण) में बताया गया है।

21. आम बोलचाल की भाषा में यह परीक्षण कि क्योंकि कोई भी' ' ' ' , को इस न्यायालय ने बनारसी दास चड्ढा में स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में, यह न्यायालय इस संबंध में जगदंबा प्रसाद सिंह मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से विशेष रूप से असहमत था।

22. धारा 3 (ई) के संदर्भ में, जो हमने ऊपर चर्चा की है, हम मानते हैं, जैसा कि होना चाहिए, कि 'साधारण मिट्टी को 'किसी अन्य

खनिज' शब्द के अर्थ में समझा जाता है। हम बनारसी दास चड्ढा में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए तर्क को अपनाते हैं कि यदि अधिनियम की धारा 3 (ई) में परिभाषित अभिव्यक्ति 'लघु खनिज' में 'साधारण मिट्टी और 'साधारण रेत' शामिल है, तो इसका कोई कारण नहीं है।' ' ' '

समझा जाना चाहिए।

23. यह मानने के बाद कि अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) में 'सामान्य मिट्टी को 'किसी अन्य खनिज' शब्द के अर्थ में समझा जाता है, अब सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तटबंधों, सड़कों, रेलवे, भवन के निर्माण में भरने या समतल करने के लिए 'साधारण मिट्टी के उपयोग को 'गौण खनिज' घोषित करना उचित है। अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि केंद्र सरकार केवल उपयोग के आधार पर किसी भी मामले को शामिल नहीं कर सकती है और न ही उद्देश्य-आधारित भेद कर सकती है। एक बार जब 'सामान्य मिट्टी को अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के प्रयोजनों के लिए 'किसी अन्य खनिज' शब्द के अर्थ में समझा जाता है, तो हमारे विचार में, केंद्र सरकार कि किसी विशेष उपयोग या उद्देश्य के आधार पर उसे शामिल करना या बाहर करने के लिए कोई बाधा नहीं

है। उपयोगकर्ता अधिनियम की धारा 3 (ई) के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपयोग या उद्देश्य के आधार पर ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुए खनिज को 'लघु खनिज' घोषित करने में शामिल करने के साथ-साथ बहिष्करण का एक वैध कारण हो सकता है। मनमाना नहीं कहा जा सकता. तदनुसार, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं कि 3 फरवरी, 2000 की अधिसूचना में उल्लिखित उपयोगों और उद्देश्यों के लिए 'साधारण मिट्टी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के विपरीत है।

24. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि रॉयल्टी की मांग केवल पट्टेदार या खनन परमिट धारक के खिलाफ ही उठाई जा सकती है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ उठाई गई मांग, जो न तो पट्टेदार हैं और न ही खनन परमिट धारक हैं, 1963 के नियमों का उल्लंघन है।

25. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तर्क से निपटते हुए कहाः ''अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या रॉयल्टी की राशि उन याचिकाकर्ताओं से वसूल की जा सकती है जो साधारण मिट्टी और अन्य लघु खनिजों के ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता हैं, हमारी सुविचारित राय है कि किसी भी लघु खनिज की खुदाई पर रॉयल्टी देय है दायित्व मुख्य रूप

से खनन पट्टा या खनन परमिट रखने वाले व्यक्ति का है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास कोई खनन पट्टा या खनन परमिट नहीं है, तो दायित्व समाप्त नहीं होता है। गौण खनिज का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात का रखरखाव और रख-रखाव करना आवश्यक है ,यह दर्शाने के लिए दस्तावेज कि रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूपी राज्य के भीतर गौण खनिजों पर देय रॉयल्टी का भुगतान किया गया है, राज्य सरकार ने सरकारी आदेशों में फॉर्म एमएम 11 और राजकोष चालान की प्रतियां तैयार करने का प्रावधान किया है। रॉयल्टी जमा करने का सबूत देने वाला चालान। यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार पर कोई अनुचित प्रतिबंध लगाया गया है या यह कानून के अधिकार के बिना है।''

26. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम, 1957 की धारा 15 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम, 1963 बनाए गए हैं। इन नियमों में धारा 3 के खंड (ई) में प्रदान की गई 'लघु खनिज' की परिभाषा को अपनाया गया है। अधिनियम, 1957 के नियम खनन पट्टा देने का रॉयल्टी / अतिरिक्त किराया का भुगतान खनन पट्टे और परमिट की शर्तें, रॉयल्टी, किराया या अन्य बकाया राशि का भुगतान न करने के परिणामों सहित अनधिकृत खनन के लिए

उल्लंघन, अपराध और दंड; रॉयल्टी के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए जिला अधिकारियों और भूविज्ञान और खनन निदेशालय के अधिकारियों की शक्तियां; ठेकेदार के माध्यम से रॉयल्टी या अनिवार्य किराया का संग्रहण; जिला अधिकारी द्वारा इन नियमों के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील और राज्य सरकार को संशोधन के माध्यम से उपाय के प्रावधान करते हैं।

27. दिनांक 20 मार्च 2001 की अधिसूचना द्वारा, नियम, 1963 से जुड़ी पहली अनुसूची में संशोधन किया गया और 'साधारण क्ले 'साधारण मिट्टी के लिए रॉयल्टी की दर रुपये तय की गई जो 4/- प्रति घन मीटर. की।

28. जिला अधिकारी के कार्यालय द्वारा अपीलकर्ताओं को कथित तौर पर मांग नोटिस जारी किए गए, जिसमें उनके ध्यान में लाया गया कि उन्होंने बिना किसी अनुमति या परमिट के 'लघु खनिज' की परिभाषा के तहत आने वाली 'साधारण मिट्टी निकाली है और उन्होंने यह भी कहा है कि रॉयल्टी नहीं दी. इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए कहा गया। हालाँकि, न तो हमारे सामने रखी गई सामग्री और न ही उच्च न्यायालय के फैसले से यह पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने उक्त नोटिस का जवाब दिया और आपत्ति उठाई कि उनके खिलाफ रॉयल्टी की मांग नहीं की जा सकती

क्योंकि वे पट्टेदार या खनन परमिट धारक नहीं थे। किसी भी मामले में, यदि उन्होंने ऐसी आपत्ति उठाई, तो उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों के निर्णय का इंतजार नहीं किया। नियम, 1963 रॉयल्टी के मूल्यांकन और वसूली और रॉयल्टी का भुगतान न करने के परिणामों के लिए पूरी मशीनरी प्रदान करते हैं। ये नियम रॉयल्टी के भुगतान की मांग करने वाले जिला अधिकारी द्वारा नियमों के तहत पारित आदेश के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को उपचार भी प्रदान करते हैं। अपीलार्थी, उनसे रॉयल्टी की वसूली के संबंध में नियम, 1963 के तहत प्रदान किए गए उपाय को आगे बढ़ाने में विफल रहे हैं, हमें डर है, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 136 के उनके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं है।

29. नतीजतन, ये सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी खर्चे के खारिज कर दी जाती हैं।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चन्द्र प्रकाश पाटीदार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।